संख्या–2652 /बीस–13–वि–2013–4(विविध)/13

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उ. प्र. शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

सचिवालय प्रशासन अनुभाग–13(विविध) लखनऊ, दिनांकः 21 नवम्बर, 2013

विषयः शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत करने एवं इन्टरनेट पर अपलोड करने की नवीन व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के विकास हेतु शासन के एजेण्डा वर्ष 2013–14 में निर्धारित सूत्र संख्या–166 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशानुसार 26 विभागों में दिनांक 15 नवम्बर, 2013 से शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत करने एवं इन्टरनेट पर अपलोड करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जानी है, इस संबंध में मुख्य सचिव के सभाकक्ष में दिनांक 06–11–2013 को आयोजित बैठक में उक्त 26 विभाग के उपस्थित अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के सम्बन्ध में यह एक उल्लेखनीय प्रयास है। द्वितीय चरण में 26 विभागों का चयन किया गया है। प्रथम चरण में इस योजना को 10 विभागों में लागू किया जा चुका है, जहॉ यह सुचारु रुप से संचालित हो रही है । उक्त योजना को दिनांक 01.01.2014 से इसे उ0प्र0सचिवालय के समस्त विभागों में लागू कर दिया जाएगा।

2. इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि द्वितीय चरण में चयनित विभागों द्वारा शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत एवं अपलोड करने की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए एवं इसकी नियमित समीक्षा की जाए जिससे कि व्यवस्था को लागू करने में कोई गतिरोध उत्पन्न न होने पाये। किसी भी अवस्था में इन विभागों में कोई भी शासनादेश मैनुअली जारी न हो। ऐसे किसी प्रकरण को आनलाइन निर्गत करने एवं इन्टरनेट पर अपलोड करने में लापरवाही संज्ञान में आने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

3. द्वितीय चरण में चयनित 26 विभागों में दिनांक 15.11.2013 के उपरान्त जारी होने वाले शासनादेश http://shasanadesh.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इन विभागों में दिनांक 01.12.2013 के उपरान्त किसी भी शासनादेश को वैध तभी माना जाये जब वह इस वेबसाइट पर उपलब्ध हो। चयनित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव कृपया अपने–अपने विभागों में शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत एवं अपलोड करने की कार्यवाही एवं उपरोक्त वेबसाइट का व्यापक प्रचार–प्रसार कराने हेतु अपने स्तर से यथावश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें जिससे कि शासन की प्राथमिकता वाली इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक संचालित किया जा सके।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।